Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

आदिवासियों का पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास में योगदान और बेदखली की समस्या व समाधान

Rajeev Kumar Meena*

Research Scholar, Department of Geography, Rajasthan University, Jaipur, Rajasthan

सार – *पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग जिसके संरक्षण के बिना मानव का अस्तित्व सुरक्षित नही है लेकिन अफसोस कि बात है कि। वर्तमान विज्ञान व तकनीकी के युग में मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति, औधोगिकरण, रोड चौड़ी करण, वन संसाधन अतिदोहन व अन्य विकास कार्यो के नाम पर वनों के दोहन की वजह से ऑक्सीजन स्रोत नष्ट हो रहे है व कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा मानव व प्रकृति के अस्तित्व के लिए भयानक खतरा पैदा हो गया है। वर्तमान में तेजी से घटते जंगल और बदलते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए सदियों से जंगलों के साथ जीवन का संबंध निभाने वाले आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका है। भारत मे लगभग* 645 *अलग-अलग जनजातियाँ निवास करती है। जल ,जंगल और ज़मीन को परंपराओं में भगवान का दर्जा देने वाले आदिवासी बिना किसी दिखावे के जंगलों और स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए आज भी प्रयासरत है । यह समुदाय परंपराओं को निभाते हुए शादी से लेकर हर शुभ कार्यो में पेड़ो को साक्षी बनाते है । वन- संरक्षण की प्रबल प्रवृत्ति के कारण आदिवासी वन व वन्य- जीवों से उतना ही प्राप्त करते है जिससे उनका जीवन सुलभता से चल सके व आने वाली पीढ़ी को भी वन-स्थल धरोहर के रूप में दिए जा सके । इनमें वन संवर्धन ,वन्य जीवों व पालतू पशुओं कला संरक्षण करने की प्रवृत्ति परंपरागत है। इस कौशल दक्षता व प्रखरता की वजह से आदिवासियों ने पहाड़ों, घाटियों व प्राकृतिक वातावरण को आज तक संतुलित बनाए रखा है। आज़ादी के बाद से तकनीकी और विज्ञान के युग मे संसाधनों के अत्यधिक खनन और कॉरपोरेट्स के हस्तक्षेप व बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के चलते आदिवासियो की बेदखली हुई, विधिक कानून धराशाही होने लगे, आदिवासियो को बुनियादी जरूरते प्रदान करना, रोजगार, पुनर्वास व उचित मुआवजा प्रदान करना जरूरी है।*

मुख्य शब्द: *पर्यावरण, जनजातियाँ, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, जनजातियों की बेदखली, पुनर्वास*|

----------X----------

परिचय

आदिवासी जिन्हें अक्सर जनजाति, वन-पुत्र आदि नामो से जाना जाता है, इस धरती से सबसे पुराने साथी है जिन्होंने प्रकृति को माँ समान समझा व जल, जंगल,ज़मीन की रक्षार्थ प्रांण भी न्यौछावर किए ।

आदिवासी जंगल मे निवास करने वाली जनजाति समुदाय है जंगल ही उनका परिवार है जंगली जानवरों को भी वे अपने परिवार का अटूट हिस्सा मानते है, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से ही वे अपना जीवन निर्वाह करते है लेकिन प्रकृति से उतना ही लेते है जितने की जरूरत होती है साथ ही वृक्षारोपण करना, बाग़वानी, फ़सल पैदा कर वे सामंजस्य बनाए रखते है। औधोगिकरण व तकनीकी युग से पहले तक पर्यावरण की स्थिति बहुत सुरक्षित थी लेकिन विज्ञान के युग ने पर्यावरण का बुरी तरह खनन किया, उधोगपतियों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते आदिवासियो को बेदखल कर के जंगलों की जगह बड़े बड़े प्लांट्स स्थापित किए, कंपनियां खोली। वक्त बदल गया वक्त के साथ साथ आदिवासियो का रहन-सहन भी बदला लेकिन वक्त के साथ भी आदिवासियो का जल, जंगल, ज़मीन के प्रति लगाव कम नही हुआ, आज भी जन-जातीय क्षेत्रो में पर्यावरण हरा भरा व प्रदूषणरहित मिलता है ।

संयुक्त राष्ट्र के "आदिवासी मामलों के स्थायी फोरम की 2007 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, आदिवासी समुदाय विश्व के कुल 80 फीसदी सांस्कृतिक और जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं ।

www.ignited.in

अध्ययन के उद्देश्य

1. आदिवासियो का पर्यावरण संरक्षण में योगदान
2. आदिवासियो का सतत विकास में योगदान
3. आदिवासियो को जंगलों से बेदखली की समस्याएं

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन को सम्पन्न करने के लिए मैने राजस्थान राज्य के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रो के प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया है। प्राथमिक आंकड़ो के संग्रह के लिए मैने प्रतिचयन विधि के आधार पर सुविधानुसार अलग अलग जनजतियो के अलग अलग क्षेत्रों का चयन कर स्वयं पर्यवेक्षण एवं परीक्षण के आधार पर अध्ययन किया। जिसमे :-

1. भील एंव गरासिया आदिवासी क्षेत्र लुंदाडा, मालनु, चामुंडेरी गांव (जिला पाली) एवं पिण्डवाड़ा (जिला सिरोही) का चयन किया।
2. मीना जिन्हें मीणा भी बोला जाता है इनका आदिवासी क्षेत्र केसरपुरा, मालनु गांव (जिला पाली), दांतासुती, बामनवास (जिला सवाई माधोपुर) का चयन किया ।
3. सहरिया आदिवासी क्षेत्र के लिए शाहबाद (बारा) का चयन किया।
4. डामोर आदिवासी क्षेत्र के अध्ययन के लिए डूंगरपुर जिला।
5. कथोडी आदिवादी क्षेत्र के लिए उदयपुर का चयन किया।

साथ ही देश की विभिन्न जनजातियों संबधित अध्ययन हेतु द्वितीयक आकड़ो की सहायता भी ली गई है।

आदिवासियो का पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास में योगदान

प्रकृति को माता मानने वाले व जल ,जंगल और जमीन को भगवान का दर्जा देने वाले आदिवासियो ने सदियो से बिना किसी स्वार्थ के इनकी रक्षा की है। आदिवासियो के जीवन मे जल, जंगल और जमीन का विशेष महत्व रहा है :

- आदिवासी अनादिकाल से जंगलों में समुदाय बनाकर रहते है । वन संरक्षण की प्रबल प्रवृति के कारण ये वन व वन्य जीवों से उतना ही प्राप्त करते है जितने की जरूरत हो, जिससे उनका जीवन सुलभता से चल सके व आगामी पीढ़ियों को भी वन-स्थल धरोहर के रूप में दिए जा सके ।
- आदिवासियो के शादी से लेकर प्रत्येक त्यौहार पेड़ो को साक्षी मानकर पूर्ण किये जाते है, आदिवासियो के वैवाहिक समारोह में सेमल के पत्तो का होना विशेष रस्म माना जाता है ।
- आदिवासी जंगलो से जड़ी-बूटियों का संग्रह, फल-फूल, सब्जियां संग्रहण, लकड़ीकर्तन करते है, उन्हें शहरों में बेचकर अपनी जीविकायापन करते है बदले में वे भरपूर वृक्षारोपण करते है खासकर बारिस के तुरंत बाद वे बड़े स्तर पर तरह तरह के पेड़ उगाते है, साथ ही बड़े होने तक उनकी देखभाल भी करते है ।
- आदिवासियो में वन संवर्धन, वन्य जीवों व पालतू पशुओं का संरक्षण करने की प्रवृति परंपरागत है। इस कौशल दक्षता व प्रखरता की वजह से आदिवासियो ने पहाड़ो, घाटियों एवं प्राकृतिक वातावरण को आज तक संतुलित बनाए रखा है ।
- आदिवासी ही इस बात को समझते हैं कि प्राकृतिक जंगल उगाये नहीं जा सकते, खुद बनते है। आदिवासियों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के तहत कुछ बंदिशें स्वयं पर लगा रखी हैं, इन बंदिशों के तहत महुआ, आम, करंज, जामुन, केड आदि के वृक्ष वे नहीं काटते, सखुआ के पेड़ की बंदिश यह कि तीन फुट छोड़ कर ही उसे काटना है । वे जलावन के लिए हमेशा सूखे पेड़ ही काटते हैं इसलिए जहां आदिवासी हैं, वहां जंगल बचे हुए हैं व जहां वे नहीं, वहां जंगल का नामो निशान मिट चुका है ।
- आदिवासियो की वजह से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अभी तक बची हुई है, उनके द्वारा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण से वातावरण शुद्ध बना हुआ है जो कि नियमित वर्षा, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, उपजाऊ जमीन सहित संसाधनों की उपलब्धता के लिए अतिआवश्यक है।

www.ignited.in

फ़ोटो- राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों की गतिविधियां

आदिम जनजातियों का राज्य वार विवरण निम्न प्रकार है :

1. आंध्र प्रदेश- बोडो गडबा, गुडोब गडबा, चेन्दू, पूर्जा, कोलम, कॉडा रेड्डी, डोगरिया खोंड

   व्यवसाय - खाद्य संग्रहण, कृषि, परिवर्तनीय खेती एवं विविध व्यवसाय

2. बिहार- असेर, बिरहोर, बिरजा, हिल खढ़िया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया, सवर

   व्यवसाय- खाद्य संग्रहण, कृषि एवं परिवर्तनीय खेती

3. गुजरात- काथोडी, कोटवालिया, पाढर, सिडोइ, कोटघा

   व्यवसाय- कृषि, परिवर्तनीय खेती एवं विविध व्यवसाय

4. कर्नाटक- जेमू कुरूवा, कोरामा

   व्यवसाय- विविध व्यवसाय

5. केरल- चोलानायकयन, कादर, कट्टाउनायकन, कुरूम्बा, कोरगा

   व्यवसाय- खाद्य संग्रहण

6. मध्य प्रदेश- अबूझमाड़िया, बैगा, भाड़िया, हिल कोरबा, कमार, साहरिया, बिरोहार

   व्यवसाय- खाद्य संग्रहण, परिवर्तनीय खेती एवं विविध व्यवसाय

7. महाराष्ट्र- कट्कड़िया, कोलम, माड़िया गोंड

   व्यवसाय- खाद्य संग्रहण, कृषि एवं विविध व्यवसाय

8. मणिपुर- मर्रम, नागा

   व्यवसाय- कृषि

9. उड़ीसा- बिरहोर, बोंडा पोराजा, दीदाई, डोंगरिया खोंड, जुआंग खाड़िया, कुटिया खोंड, लांजिया सौरत, लोढ़ा, मानकी दियास, पौड़ी भुयन, सौरा

   व्यवसाय- खाद्य संग्रहण, कृषि, परिवर्तनीय खेती एवं विविध व्यवसाय

10. राजस्थान- मीना/मीणा, भील, गरासिया, कथोडी, सहरिया

    व्यवसाय- खाद्य संग्रहण ,कृषि ,विविध व्यवसाय

11. तमिलनाडु- कट्टूनायकन, कोटा, कुरूम्बा, इरूला, पणियन, टोडा

    व्यवसाय- खाद्य संग्रहण, परिवर्तनीय खेती एवं विविध व्यवसाय

12. त्रिपुरा- रियांग

    व्यवसाय- परिवर्तनीय खेती

13. उत्तर प्रदेश- बुक्सा, रजिया

    व्यवसाय- खाद्य संग्रहण, कृषि

14. पश्चिम बंगाल- बिरहोर, लोढ़ा, टोटो

    व्यवसाय- खाद्य संग्रहण

15. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह- ग्रेट अण्डमानी, जरवा, ओंगे, सेंटनेली, शोम्पेन

    व्यवसाय- खाद्य संग्रहण

आदिवासी क्षेत्रों में देश के विभिन्न स्थानों पर वर्षो से आंदोलन चल रहे है जो बेदखली के विरोध में उचित मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास की मांग को लेकर संघर्षरत है :

www.ignited.in

(1) पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल),

(2) कर्नाटक आंदोलन (आदिवासियों के अधिकार के लिए),

(3) शान्त घाटी बचाओ आंदोलन (उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को बचाना),

(4) कैगा अभियान (नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के विरोध में),

(5) जल बचाओ, जीवन बचाओ (बंगाल से गुजरात तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक, मछली बचाओ),

(6) बेडथी आंदोलन (कर्नाटक की जल विद्युत योजना के विरोध में),

(7) टिहरी बाँध परियोजना (उत्तराखण्ड मे टिहरी बाँध के विरोध में),

(8) नर्मदा बचाओ आंदोलन

(9) दून घाटी का खनन विरोध

(10) मिट्टी बचाओ अभियान

(11) यूरिया संयंत्र का विरोध (मुम्बई से 25 किलोमीटर दूर वैशड़ में),

(12) इन्द्रावती नदी पर बाँध का विरोध (मुम्बई के इन्द्रावती नदी पर गोपाल पट्टनम एवं इचामपतल्ली बाँध का आदिवासियों द्वारा विरोध),

(13) गंध मर्दन बॉक्साइट विरोध संबंधित क्षेत्रों मे संरक्षण के लिए किया जा रहा है पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।

(14) केवड़िया आदिवासी आंदोलन (नर्मदा जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र में आदिवासियो की बेदखली के खिलाफ)

आदिवासियो की जल-जंगल-जमीन से बेदखली व समस्या समाधान के सुझाव

प्राचीन काल से ही जंगल आदिवासियो का घर रहा है जहाँ वे समुदाय बनाकर रहते आए है । रियासतकाल में भी उन्हें जंगलों से बेदखल नही किया गया ।

आज़ादी के बाद भारत मे आदिवासियो को कई विधिक अधिकार प्रदान किए :

- भारतीय संविधान की पांचवी व छठी अनुसूची
- अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रो में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA)
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA)
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

उपर्युक्त उपबंधों को कठोरतापूर्वक लागू नही किए जाते, जिसके चलते उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है । आदिवासियो को बेदखल किया जा रहा है जिसकी वजह निम्न है :

- साक्षरता की कमी के चलते आदिवासी अपने विधिक अधिकार व कल्याणकारी योजनाओं से अनभिज्ञ रहते है।
- कॉरपोरेट्स के राजनेताओं से मिलीभगत से जंगलों में हस्तक्षेप के विरोध करने वालो को कथित रूप से नक्सली कहकर राजद्रोह, देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल देते है। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्या है जो झारखंड, ओडिसा, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्यो में फैला हुआ है। इसके समाधान हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने को जरूरत है, आदिवासियो को बुनियादी जरूरते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास की जरूरत है।
- जनजातियां अपने जीवन निर्वाह हेतु भूमि व वन संसाधनों पर निर्भर होती है, समय के साथ उनके आवास आरक्षित वन, सुरक्षित वन घोषित कर दिए

www.ignited.in

जाते है, उन्हें बिना मुआवजा दिए वहां से हटा दिया जाता है और बेदखल कर दिया जाता है।

- मानव तस्करी, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी के चलते इन्हें धीरे धीरे अपने आवास छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है।

- जनजातियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नही किया जाता, उनसे जानवरो जैसा व्यवहार किया जाता है उनकी महिलाओं व युवतियों से बलात्कार जैसी घटनाएं भी सामने आई है । अंडमान की जनजातियां जरावा, ओंगे, सेंटिनल इनका शिकार होती रही है।

- जनजातियों के साथ एक बड़ी समस्या विकास परियोजनाओं , बांध बनाना, वन क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट स्थापित करना ,वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र घोषित करना, खनन कार्य करवाना, कॉरपोरेट्स द्वारा कंपनियां स्थापित करने से आदिवासियो को वन क्षेत्र से प्रवासित कर दिया जाता है, उन्हें उचित मुआवजा, रोजगार, आवास व जीवन निर्वाह के उपाय पर ध्यान नही दिया जाता।

- पी.ई.एस.ए एक्ट, 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रो में भूमि वियोजन रोकने, अनुसूचित जनजातियों की अवैध वियोजित भूमि को लौटाने, वन भूमि के अधिग्रहण के मामले में प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा से परामर्श करना व उनकी स्वतंत्र सहमति आवश्यक है लेकिन व्यवहार में उनसे न तो परामर्श लिया जाता है, न ही उन्हें कोई नोटिस भेजा जाता है व न ही उनके हस्ताक्षर लिए जाते है।

- भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास व उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जनजातियों को दिया गया मुआवजा कम होता है एवं पुनर्वास पर प्रदान की गई जीवन परिस्थितियां बहुत घटिया होती है । हाल ही में गुजरात के केवड़िया में जहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के आदिवासियो को गुजरात उच्च न्यायालय की रोक के आदेश के बावजूद हटाया जा रहा है, उनके पुनर्वास, रोजगार की व्यवस्था करना जरूरी है साथ ही उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

- जनजातीयो के दावे एकल की जगह सामुदायिक होते है जिनका लिखित प्रमाण नही होता, मौखिक साक्ष्य के चलते उन्हें वैयक्तिक अधिकार स्थापित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है ।

सदियो से पर्यावरण के रक्षक रहे आदिवासियो को बेदखली से बचाव हेतु उन्हें बुनियादी जरूरते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुनर्वास, उचित मुआवजा प्रदान करे साथ ही विधिक कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाना जरूरी है। कॉरपोरेट्स के अनियंत्रित हस्तक्षेप को रोककर आदिवासियो का संरक्षण किया जाए व उच्च न्यायालय के आदिवासियो को निष्काषित न करने के निर्णय का पालन किया जाए।

निष्कर्ष

आदिवासी समुदाय सदियो से जल, जंगल और जमीन के रक्षक रहे है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु की नियमितता, संधारणीय विकास में आदिवासियो का मुख्य योगदान रहा है। पुरातन काल से ही आदिवासी प्रकृति को माता व जल, जंगल, जमीन को भगवान समान मानते रहे है साथ ही वन्य जीवों को परिवार का हिस्सा मानते है। रियासत काल मे भी राजाओं ने इनके क्षेत्रो मे हस्तक्षेप नही किया लेकिन विज्ञान व तकनीकी युग व वर्तमान कॉरपोरेट्स व पूंजीवाद के फलस्वरूप उद्योगपतियो का जंगलों में हस्तक्षेप बढ़ने लगा । संविधान द्वारा बनाए हुए कानूनों की धज्जियां उड़ने लगी है व जनजातियों को मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी सहित कथित नक्सलवाद के आरोप में जंगलों से बेघर किया जा रहा है जिसकी वजह से पर्यावरण संरक्षण में होने वाले नुकसान को सम्पूर्ण मानव जगत को उठाना पड़ेगा । आदिवासियो के अधिकारों के सरंक्षण हेतु विधिक उपायों को सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है । आदिवासी भी इन देश के नागरिक है, अशिक्षा के चलते वे अपने अधिकारों व संवैधानिक उपबंधों से अनभिज्ञ है इसलिए उन्हें शिक्षित कर अपने अधिकारों के प्रति सजग करना जरूरी है। आदिवासी हमारे प्रेरणा स्रोत है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए सदियो से प्रयासरत है, उनकी वजह से मानवजगत सुकून जीवनयापन कर रहा है, स्वच्छ पर्यावरण के चलते निरोग रह रहा है। आदिवासियो का संरक्षण प्रकृति संरक्षण के समान है, प्रकृति संरक्षण अच्छे भविष्य के लिए अति आवश्यक है, हमे सतत विकास की अवधारणा को अपनाते हुए सीमित मात्रा में संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में पीढ़ियां भी लाभान्वित हो सके ।

www.ignited.in

स्रोत

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, भारत सरकार
2. योजना आयोग, भारत सरकार
3. आयोजन विभाग, राजस्थान सरकार
4. पत्रिकाए - योजना, कुरुक्षेत्र
5. विकिपीडिया
6. यूएनओ की आदिवासी मामलों के स्थायी फ़ोरम रिपोर्ट, 2007
7. भारतीय राजव्यवस्था - एम.लक्ष्मीकांत
8. भारत का संविधान - सुभाष कश्यप
9. वेबसाइट्स - http://hi.vikaspedia.in

http://m-hindi.indiawaterportal.org

Www.tad.rajasthan.gov.in

www.sjerajasthan.gov.in

10. संबंधित पत्र पत्रिकाएं – The Hindu, times of India, PIB.

Corresponding Author

Rajeev Kumar Meena*

Research Scholar, Department of Geography, Rajasthan University, Jaipur, Rajasthan